न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 09/2024
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 23.07.2024

निर्णय दिनांकः 11.02.2025

उनवान

1. जीतमल पुत्र लहरू जाति जाट निवासी भोलीखेडा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद

............प्रार्थी

बनाम

1. भेरूलाल पुत्र लहरू जाति निवासी भोलीखेडा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद
2. रामलाल पुत्र लहरू जाति जाट उम्र वयस्क निवासी भोलीखेडा तहसील आमेट, जिला राजसमंद
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, आमेट जिला राजसमदं

..................विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् पत्थरगढी

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास
विपक्षी सं. 01 व 02 की ओर से :– अधिवक्ता धर्मेश शर्मा

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् पत्थरगढी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वरनीया पटवार हल्का लीकी तहसील आमेट जिला राजसमंद में प्रार्थी के आधिपत्य, कब्जे एवं खातेदारी की भूमि स्थित है, जिसके खाता सं. नया 18 व पुराना 22 आराजी नं. 10, 11, 12, 23, 25, 26, 370/27, 371/30 कुल किता 08 रकबा 2.0200 हैक्टेयर है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है एवं खा–कमा रहा है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियो के सटमा विपक्षी संख्या 1, 2 की कृषि भूमियां स्थित है, जिनके आराजी नम्बर 13, 20, 27मी., 28, 30मी. एवं आराजी नम्बर 379/13 स्थित है, विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि को हडपने की नियत से नाजायज रूप से कब्जा कर हस्तक्षेप करना चाहते है तथा आये दिन प्रार्थी की अनुपस्थित में चार दिवारी की बाड एवं पत्थर हटाकर प्रार्थी की भूमि की सीमा के बारे मे विवाद करते है। विपक्षी संख्या 1. 2 शक्ति एवं गुण्डागिरदी के बल पर प्रार्थी की आराजीयात को हडपने की चेष्टा रखते है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि से विपक्षी संख्या 1 का कोई सम्बन्ध नही है, विपक्षी संख्या 1, 2 नाजायज रूप से प्रार्थी की भूमि मे हस्तक्षेप कर रहे है, आराजीयात की सीमा के सम्बन्ध में विवाद कर रहे है तथा लडाई झगडा करने पर उतारू है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की नपती कर पत्थरगढी की जाना नितान्त आवश्यक हो गया है, क्योंकि विपक्षी संख्या 1. 2 प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण एवं हस्तक्षेप करने के लिए आमादा है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 3 के यहां सीमा जानकारी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवारी हल्का लीकी द्वारा दिनांक 30.01.2024 को मौका पर्चा बना कर सीमा अंकित कराई थी, किन्तु विपक्षीगण द्वारा पुनः उक्त सीमा चिन्हो को हटा दिया एवं लडाई झगडा कर प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए आमादा है, इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थर गढी करवाना चाहता है, जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। वाद हेतुक दिनांक 05.07.2024 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1, 2 ने प्रार्थी की भूमि की सीमा पर अंकित सीमा चिन्हो को हटा दिया एवं प्रार्थी की भूमि मे अनाधिकृत हस्तक्षेप कराने का प्रयास किया पर उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम वरनीया, पटवार हल्का लीकी तहसील आमेट जिला राजसमंद मे स्थित उक्त वर्णित भूमि का विपक्षीगण की मौजूदगी मे सीमाबन्दी कर पत्थरगढी करवायी जावे एवं खर्चा प्रार्थना पत्र व अन्य सहायता जो प्रार्थी को विपक्षीगण से दिलवायी जा सके वह दिलवायी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता धर्मेश शर्मा ने वकालत नामा पेश किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में ग्राम वरनीया, पटवार हल्का लीकी, तहसील आमेट जिला राजसमंद की जमाबन्दी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया कि विपक्षी, प्रार्थी की भूमि को हडपने की नियत से नाजायज रूप से कब्जा कर हस्तक्षेप करना चाहता है तथा आए दिन प्रार्थी की अनुपस्थिति में पत्थर हटाकर प्रार्थी की भूमि की सीमा के बारे मे विवाद करता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि से विपक्षी संख्या 1 व 2 का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थी की उक्त आराजीयात की नपती कर पत्थरगढी की जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किए।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस मे दिये गये उजरात एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह ताईद है कि प्रार्थी विवादित जमीन का तन्हा रिकार्डेड खातेदार है एवं विपक्षी सं. 1 व 2 ने भी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपनी सहमति दी है, वैसे भी प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में पत्थरगढी कराने पुर्ण अधिकार है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम वरनीया, पटवार हल्का लीकी, तहसील आमेट जिला राजसमंद में खाता सं. नया 18 व पुराना 22 आराजी नं. 10,

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

11, 12, 23, 25, 26, 370/27, 371/30 कुल रकबा 2.0200 हैक्टेयर, कुल किता 08 रकबा 2.0200 हैक्टेयर भूमि में पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी करने हेतु मौका कमिश्नर तहसीलदार आमेट को नियुक्त किये जाते है कि राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत उक्त भूमि की पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट मय मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस समयावधि के तहत न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति तहसीलदार आमेट को भेजी जावें ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **11.02.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)